

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक एफ-१-२६(४)स्था / २०२० / १५५९६

दिनांक २५ मार्च, २०२०

॥ आदेश ॥

जिले मे नोवल कोरोना वायरस (COVID 19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की संभावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम आदेश तक मुख्यालय अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना नहीं छोड़ेंगे। साथ ही समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित उपखण्ड अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

—
जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं पालनार्थ :—

- १— प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कार्यालय हाजा।
- २— समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला भीलवाडा।
- ३— समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाडा।
- ४— समस्त तहसीलदार जिला भीलवाडा।
- ५— समस्त विकास अधिकारी जिला भीलवाडा।
- ६— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका जिला भीलवाडा।
- ७— अति. निजी सचिव, निजी अनुभाग जिला कलक्टर भीलवाडा।
- ८— समस्त नायब तहसीलदार जिला भीलवाडा।
- ९— प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हाजा।
- १०— निजी सहायक, अति. जिला कलक्टर भीलवाडा।
- ११— रक्षित पत्रावली

20/3/2020
जिला कलक्टर
भीलवाडा